

Instructions regarding Temporary Appointments in Colleges of Delhi University

2490. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether U. G. C. had issued instructions during Emergency that only temporary appointments be made against newly created posts in the colleges of Delhi University;

(b) whether these instructions had been flouted by colleges by making permanent appointments against these newly created posts;

(c) if so, the names of colleges which have flouted these instructions and action taken against them; and

(d) broad outlines of the instructions issued by the U. G. C. to the colleges during Emergency?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) According to the information furnished by the University Grants Commission no such instructions were issued.

(b) to (d) Do not arise.

माउथ एवेन्यू और नार्थ एवेन्यू के फ्लैटों में रह रहे सरकारी कर्मचारी

2491. श्री नवाब मिह चौहान : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1975 को कितने सरकारी कर्मचारी नार्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू के ऐसे फ्लैटों में रह रहे थे, जिनका आवंटन सम्पदा कार्यालय द्वारा किया गया था;

(ख) वर्ष 1975 में कितने अधिकारियों से ये फ्लैट खाली कराये गये और इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या कुछ सरकारी अधिकारियों से फ्लैट खाली कराये गए और कुछ अधिकारियों से खाली नहीं कराये गए और एक समान नीति का पालन न किए जाने के क्या कारण थे;

(घ) क्या यह सच है कि जब वर्ष 1975 में सरकारी अधिकारियों से उक्त फ्लैट खाली कराये गए, तब कुछ फ्लैट नार्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू में पहले से ही खाली पड़े थे और यदि हां, तो फ्लैटों को खाली रखने के क्या कारण थे और जिन फ्लैटों में अधिकारी रह रहे थे, उन्हें खाली कराने के क्या कारण थे ; और

(ङ) क्या इस पक्षपात को समाप्त करने के लिए सरकार का नियम बनाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) (क) 1-4-1975 को साउथ और नार्थ एवेन्यू फ्लैटों में दस कर्मचारी रह रहे थे और ये फ्लैट उन्हें लोक सभा की आवास समिति की सिफारिश पर पूर्णतया अस्थायी रूप से इस शर्त पर आवंटित किए गए थे कि जब इन फ्लैटों को संसद सदस्यों को आवंटित करने की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें ये फ्लैट खाली करने पड़ेंगे।

(ख) 1975 में एक अधिकारी को फ्लैट खाली करना पड़ा था क्योंकि उस फ्लैट का आवंटन एक संसद सदस्य को किया जाना था।

(ग) साउथ/नार्थ एवेन्यू के फ्लैट सरकारी अधिकारियों को लोक सभा की आवास समिति की सिफारिश पर आवंटित किए जाते हैं और